दिनांक 24.06.2021
प्रेस विज्ञप्ति 24/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना इन्दिरानगर

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने/चॉदी के भारी मात्रा में आभूषण व सामान**
- **1800 रूपये नगद**
- **घटना प्रयुक्त 01 कार**
- **01 पल्सर मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 24.06.2021 को थाना इन्दिरानगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिकनिक स्पाट तिराहे से 03 शातिर अभियुक्तों 1–अजीत 2–शादाब 3–राकेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने/चॉदी के भारी मात्रा में आभूषण, एवं सामान, 1800 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 कार , 01 पल्सर मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि विगत माह मयूर रेजीडेन्सी थाना इन्दिरानगर क्षेत्र से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दिरानगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना इन्दिरानगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजीत निवासी अपूर्वा बिहार कालोनी थाना इन्दिरानगर, लखनऊ।

2–शादाब निवासी मायावती कालोनी थाना इन्दिरानगर, लखनऊ।

3–राकेश निवासी मायावती कालोनी थाना इन्दिरानगर, लखनऊ।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 10 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने/चॉदी के भारी मात्रा में आभूषण, एवं सामान।

2–1800 रूपये नगद।

3– घटना में प्रयुक्त 01 कार।

4–01 पल्सर मोटर साइकिल आदि। लूट की घटना का अनावरण

<u>जनपद बरेली/थाना आंवला</u>

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 23.06.2021 को थाना आंवला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोडवेज बस स्टैण्ड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजेश, वर्तमान नाम मटरू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना आंवला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126/2003 धारा 323/324 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना आंवला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1– राजेश निवासी तेंदुआ फार्म थाना पुवांया जनपद शाहजहांपुर, वर्तमान नाम मटरू निवासी कच्ची बस्ती थाना भरतपुर जनपद भरतपुर, राजस्थान।

<u>बरामदगी</u>

01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद जौनपुर/थाना मीरगंज

- **20—20 हजार रू0 के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित कारतूस**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 पल्सर मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 24.06.2021 को थाना मीरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बभनियॉव मोड़ से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—विवेक कुमार 2—शिवम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 पल्सर मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2021 धारा 307 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20—20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना मीरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विवेक कुमार निवासी ग्राम उदयपुर गेल्हवा थाना बदलापुर जनपद जौनपुर।

2—शिवम निवासी अर्शिया डिहवा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित कारतूसं

2— 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

3—01 पल्सर मोटर साइकिल।

4—01 मोबाइल फोन।

जनपद आजमगढ़ / थाना कोतवाली

- **10 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 23.06.2021 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बिमटी से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–असहद सहित 02 अभियुक्त 2–इस्तेयाक अहमद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त असहद थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0–68/2021 धारा 395/342/412 भादवि व मु0अ0सं0–72/2021 धारा 307/34 भादवि के अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिसमें अभियुक्त असहद की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–असहद निवासी सदरूद्दीन रन्नो थाना बक्सा जनपद जौनपुर।
2–इस्तेयाक अहमद निवासी चौरारी बाजार थाना मड़ियाहू जनपद जौनपुर।

बरामदगी

01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद आजमगढ़ / थाना गम्भीरपुर

लूट की घटना का अनावरण

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 2500 रूपये नगद**
- **01 लैपटाप, 01 स्कैनर, 17 एटीएम कार्ड**
- **01 चार पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित व खोखा कारतूस आदि**

दिनांक 24.06.2021 को थाना गम्भीरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बहादुरपुर अमौडा नहर पुलिया के पास से पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्तों

1—अजीत उर्फ अतुल 2—गगनदीप 3—सन्तोष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 2500 रूपये नगद, 01 लैपटाप, 01 स्कैनर, 17 एटीएम कार्ड, 01 चार पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित व खोखा कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना गम्भीरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजीत उर्फ अतुल निवासी अमौडा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

2—गगनदीप निवासी भादों थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

3—सन्तोष निवासी कैंथी शंकरपुर थाना देवगॉव जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—लूट के 2500 रूपये नगद

2—01 लैपटाप, 01 स्कैनर, 17 एटीएम कार्ड।

3—01 चार पहिया वाहन।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित व खोखा कारतूस।

जनपद बिजनौर/थाना शेरकोट

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 40 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 24.06.2021 को थाना शेरकोट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टैम्पू स्टैण्ड से 02 अभियुक्तों 1—रोहित 2—भारत उर्फ भरतू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 40 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 02.06.2021 को थाना शेरकोट क्षेत्र में हुई चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0–101/2021 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना शेरकोट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित निवासी रामसहाय वाला थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

2–भारत उर्फ भरतू निवासी रामसहाय वाला थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

चोरी के 40 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन

बरामदगी

1–चोरी के 40 हजार रूपये नगद।

2–01 मोबाइल फोन।

जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 लाख 11 हजार के कूटरचित भारतीय करेंसी**
- **लैपटाप, प्रिन्टर, स्कैंनर, मोबाइल फोन**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 23.06.2021 को थाना सतरिख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बीजेमऊ नहर पुलिया ग्राम गोकुलपुर के पास से 04 अभियुक्तों 1–सौरभ 2–शिवशंकर 3–मो0 असलम 4–रितिक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02लाख 11 हजार के कूट रचित भारतीय करेंसी लैपटाप, प्रिन्टर/स्कैनर, मोबाइल फोन, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सतरिख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सौरभ निवासी प्रेमनगर थाना आलमबाग, लखनऊ।

2–शिवशंकर निवासी सूजागंज थाना रूदौली जनपद अयोध्या।

3–मो0 असलम निवासी सुलेमानपुर थाना पटरंगा जनपद अयोध्या।

4–रितिक निवासी सूजागंज थाना रूदौली जनपद अयोध्या।

बरामदगी

1–02लाख 11 हजार के कूट रचित भारतीय करेंसी।

2– लैपटाप, प्रिन्टर/स्कैनर, मोबाइल फोन।

3– 02 मोटर साइकिल आदि।

एसटीएफः जनपद आजमगढ़ व अम्बेडकरनगर में जहरीली शराब से हुई दर्जनों लोगों की मृत्यु के मुकदमों का वांछित एवं आजमगढ़ से रू0 25,000/– का इनामी अपराधी गिरफ्तार।

दिनांकः 24–06–2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद आजमगढ़ व अम्बेडकरनगर में जहरीली शराब से हुई मौत के मामलो में पंजीकृत अभियोगों में वांछित रू0 25 हजार के पुरस्कार घोषित अपराधी को जनपद आजमगढ़ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

किशन यादव उर्फ कृष्णा यादव पुत्र स्व0 इन्द्रजीत यादव निवासी ग्राम अताईपुर, थाना फुलपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः–

दिनांक 24–06–2021 समयः लगभगः 04.00 बजे, माहुल तिराहा, थानाक्षेत्र फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

दिनांक 06—05—2021 से 08—05—2021 के बीच जनपद अम्बेडकरनगर व आजमगढ़ में शराब के ठेको से बिकी पावर हाउस ब्राण्ड की शराब पीने से लगभग 35 लोगों की मृत्यु हो गयी। परिणामस्वरूप जनपद आजमगढ़ एवं अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानों में कई अभियोग पंजीकृत हुए थे। जहरीली शराब ठेको से बेचने में रणजीत यादव, रवि यादव एवं किशन यादव की मुख्य भूमिका पायी गयी, इनकी गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध मे श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण मे अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में दिनांक 24—06—2021 को उ0नि0 संतोष कुमार के नेतृत्व में मु0आ0 जावेद, मृत्युन्जय सिंह, चन्द्र प्रकाश मिश्र, आरक्षी मुनेन्द्र सिंह, कमाण्डो राजकुमार यादव व मुख्य आरक्षी चालक नागेश मिश्र की एसटीएफ टीम जनपद जनपद आजमगढ़ के थाना क्षेत्र फूलपुर में मौजूद थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि जहरीली शराब से हुई मौतों के प्रकरण में वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधी किशन यादव माहुल तिराहा से कहीं जाने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम उक्त स्थान पर पहुॅचकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए वांछित किशन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह आजमगढ़ के रणजीत यादव के साथ मिलकर स्प्रिट एवं शीरे से मिलावटी शराब तैयार कराता है और उन पर विभिन्न ब्राण्ड के रैपर व ढ़क्कन लगाकर शराब ठेकों से व चोरी छिपे अन्य ठिकानों से भी बिक्री की जाती है। पावर हाउस ब्राण्ड की शराब भी इन्ही के ठेके से बेची गयी थी, जिसको पीने से काफी संख्या में लोगों की मौत हो गयी। रणजीत यादव व हमलोग हाई कोर्ट से अरेस्ट—स्टे कराने के चक्कर में फरारी काट कर रहे थे।

किशन यादव उर्फ कृष्णा यादव पुत्र स्व0 इन्द्रजीत यादव निवासी ग्राम अताईपुर, थाना फुलपुर, जनपद आजमगढ़ का अपराधिक इतिहासः—

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	71/21	272, 302, 201, 420, 476, 468, 471 भादवि एवं 60ए आबकारी अधि0	जैतपुर	अम्बेडकरनगर

2	27/19	63 आ0अधि0 व 419 420 भादवि	फूलपुर	आजमगढ़
3	58/21	419, 420, 467, 468, 471, 272, 273, 120बी भादवि व 60 (ए) आ0 अधि0	पवई	आजमगढ़
4	59/21	419, 420, 467, 468, 471, 272, 273 भादवि व 60 (ए)/72 आ0 अधि0	पवई	आजमगढ़
5	74/21	272, 273, 120बी भादवि व 60 (ए) आ0 अधि0	दीदारगंज	आजमगढ़
6	90/21	3 (1) यूपी गै0 एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में दाखिल किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना पवई, दीदारगंज, फूलपुर जनपद आजमगढ़ एवं थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा की जायेगी।

———————